

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: 2018 / VII-1 / 2018 / 12 स्टोन क्रेशर / 15  
देहरादून, दिनांक: 07 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-687 / VII-1 / 12-स्टोन क्रेशर / 2015, दिनांक 01 जुलाई, 2015 द्वारा प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर को जनपद नैनीताल, तहसील बेतालघाट, नैनीचक मय पांच चौक, ग्राम रौलिया लग्गा के क्षेत्रान्तर्गत कुल रकवा 0.626 है० क्षेत्रफल में तत्समय उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर अनुज्ञा नीति, 2011 के प्रावधानानुसार 200 टन प्रति दिन क्षमता के स्टोन क्रेशर स्थापना/संचालन हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी। उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाटमिक्स प्लान्ट एवं रेडीमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2016 के अध्याय-I के बिन्दु सं० 9 में निहित प्रावधानों के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-668/खनिज/स्टो०विनि०/नैनी/भू०खनि०ई०/2018-19, दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में संबंधित स्टोन क्रेशर प्लान्ट स्वामी द्वारा घोषित क्षमता के आधार पर स्टोन क्रेशर की क्षमता 45 टन प्रति घंटा निर्धारित कर उक्त नीति के अध्याय-III के बिन्दु सं० 2 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने की शर्त के अधीन संबंधित स्टोन क्रेशर का विनियमितीकरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बृजेश कुमार सन्त  
अपर सचिव

संख्या:- 2018 (1) / VII-1 / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. प्रो० श्री दीपक साह, श्री मां नन्दा स्टोन क्रेशर, ग्राम रौलिया लग्गा, नैनीचक मय पांच चौक, तहसील बेतालघाट, जनपद नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(अर्पण कुमार राजू)  
अनु सचिव